प्रिय नियोक्ता

               उपरोक्त विषय के संबंध में प्रायः यह पाया गया है कि संस्थान में कार्यरत वे कर्मचारी जिन्होंने  संस्थान से सेवा त्याग करने के पश्चात अपने भविष्य निधि  एवं पेंशन खाते से भुगतान प्राप्त कर लिया है तथा वे कर्मचारी यदि उसी संस्थान में पुनः नियुक्त होते है तो संस्थान द्वारा उन कर्मचारियों को उनका  पुराना भविष्य निधि खाता आवंटित कर दिया जाता है जो कि एक गलत प्रक्रिया  है, जिसके कारण  कर्मचारी भविष्य में नौकरी छोड़कर अपना  भविष्य निधि  एवं पेंशन खाते का भुगतान लेना चाहता है तो वह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता है | जिसके कारण उसे  भुगतान प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है |

             अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपकी संस्थान में किसी कर्मचारी की पुनः नियुक्ति की जाती है तो उस कर्मचारी को नया भविष्य निधि खाता क्र. आवंटित करना सुनिश्चित करें जिससे  भविष्य में कर्मचारी नौकरी छोड़कर अपना  भविष्य निधि  एवं पेंशन खाते का भुगतान लेना चाहे तो उसे भुगतान संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े तथा वह अपना प्रकरण ऑनलाइन जमा कर  भुगतान  प्राप्त कर सके |

Regards,

RPFC-II

RO Indore